भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2742

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025

सोमवार, 26 फाल्गुन 1946 (शक)

ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्र

2742. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रचालनरत योजनाओं के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधान मंत्री युवा योजना और स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) जैसी योजनाओं के अंतर्गत अब तक कितने लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है;

(घ) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कौशल विकास और उद्यमिता योजनाओं के कार्यान्वयन में किन-किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग प्रासंगिक कौशलयुक्त करना है।

कौशल विकास के लिए योजनाओं के प्रभाव का आकलन उनके अन्य पक्ष के स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्तूबर 2020 में किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को काम पर रखेंगे। इसके अलावा, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखे गए और आरपीएल घटक के तहत उन्मुख 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने गैर-प्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा। एमएसडीई की अन्य योजनाओं के संबंध में, अन्य पक्ष के मूल्यांकन रिपोर्टों में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में सफलता का उल्लेख किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

जेएसएस: वर्ष 2020 में जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है, जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला या वे स्वरोजगार कर रहे थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी शिक्षुओं ने व्यावसायिक बदलाव किए हैं।

एनएपीएस: वर्ष 2021 में एनएपीएस के अन्य पक्ष मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने विभिन्न उद्योगों में शिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की नियोज्यता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। इस योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे शिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

आईटीआई: एमएसडीई द्वारा 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (जिनमें से 6.7% स्व-रोजगार में) हैं।

(ग) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.12.2024 तक कुल 5,98,174 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। एसवीईपी के तहत, आज तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 429 ब्लॉकों को मंजूरी दी गई है, जो 3.36 लाख उद्यमों का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा, पीएम-युवा (चरण- I और चरण- II) के तहत, कुल 62,577 लाभार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (छात्रों का ओरिएंटेशन), सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (संकाय सुविधाकर्ता प्रशिक्षण), संकाय सलाहकार प्रशिक्षण और मेंटरिंग कैंप के तहत कवर किया गया।

(घ) कौशल विकास के लिए एमएसडीई की योजनाएं मांग आधारित हैं और देश भर में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) जरूरत के आधार पर स्थापित/संलग्न किए जाते हैं।

(ङ) कौशल विकास कार्यक्रमों के डिजाइन या कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि कौशल पाठ्यक्रमों की डिलीवरी उद्योग की मौजूदा या उभरती आवश्यकताओं के अनुसार हो। एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के साथ संरेखित करना सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) वर्ष 2020 से, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 4387 नई अर्हताओं को मंजूरी दी है और 4419 अर्हताओं को संग्रहीत किया है जो प्रासंगिक नहीं हैं।

(ii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। एनएसडीसी, बाजार आधारित कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग की मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं।

(iii) डीजीटी फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(iv) भारत सरकार ने वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रयासों को संरेखित करने के लिए बारह देशों के साथ कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(v) पीएमकेवीवाई के तहत, एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ लगभग 200 नए युग/भविष्य के कौशल वाले जॉब रोलों नौकरी-भूमिकाओं को विशेष रूप से संरेखित किया गया है, ताकि आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए काम किया जा सके।

(vi) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) ने कृत्रिम मेधा, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीटीएस के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में 29 नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(vii) डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भागीदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और पेशेवर कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती हैं।

(viii) अहमदाबाद और मुंबई में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) का उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए उद्योग-तैयार कार्यबल तैयार करना है, जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण से युक्त हो।

(ix) एमएसडीई के तत्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेडहैट, पियर्सन वीयूई, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी), सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी की है।

*****